पंजीयन किया गया।
पंजीयन क्रं 1570 दि. 26-4-97
संशोधन दिनांक 19-7-17

562
23/8/17

।। नियमावली ।। संशोधित

(1) समिति का नाम :– **विभावरी**

(2) समिति का कार्यालय :– 12, चामुण्डा काम्पलेक्स, ए.बी.रोड़, देवास म.प्र.

(3) समिति का कार्यक्षेत्र :– सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा।

(4) समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होगें :–

1. शिक्षा के क्षेत्र में श
2. लुप्त होती नगर एवं लोक सांस्कृतिक परम्पराओं की सुरक्षा एवं पुर्नस्थापना के लिए कार्य करना।
3. हरिजन/आदिवासी/पिछड़े वर्गो के सामाजिक विकास हेतु कार्य करना।
4. महिलाओं में जागरूकता पैदा करना एवं उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए महिला सहकारिता के क्षैत्र में कार्य करना।
5. विकलांग एवं अविकसित बच्चों के लिए शैक्षिक एवं मानवीय संसाधनों की पूर्ति के लिए कार्य करना।
6. जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षैत्र में जागरूकता पैदा करना एवं संबंधित कार्य का प्रशिक्षण देना।
7. गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों के लिए लोगों को जागृत करना एवं संबंधित कार्य का प्रशिक्षण देना।
8. ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीणों को उन्नत कृषि, जैविक खेती, जल संरक्षण, मानवीय गुणों में वृद्धि संवाद कौशल स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग जैसे कार्य हेतु प्रशिक्षण देना।
9. शहरी एवं ग्रामीण क्षैत्रों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षैत्र में कार्य करना व प्रशिक्षण देनार।
10. पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र मे कार्य करना एवं प्रशिक्षण देना।

(5) सदस्यता :– संस्था मे निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होगें :–

अ. संरक्षक सदस्य :– संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रूपये 11000 या अधिक रकम एकमुश्त या एक साल में 12 किश्तों मे देगा, वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

ब. आजीवन सदस्य :– जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रूपये 5001 या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रूपये 6000 या अधिक देकर वह संरक्षक सदस्य बन सकता है।

निरंतर...2 पर

अध्यक्ष, विभावरी

सचिव, विभावरी

कोषाध्यक्ष विभावरी

असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटी उज्जैन संभाग, उज्जैन

संशोधित किया गया।
पंजीयन क्र. 1570 दि. 26-4-97
संशोधन दिनांक 19-7-17

स. साधारण सदस्य :— जो व्यक्ति 20 रूपये प्रतिमाह या रूपये 200 प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप मे देगा, वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये होगा, जिस अवधि के लिए उसने चन्दा दिया है। जो साधारण सदस्य बिना सन्तोषजनक कारणों के 6 माह तक देय चन्दा नही देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जावेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

सम्मानीय सदस्य :— संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक मे भाग ले सकते है, परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।

(6) सदस्यता की प्राप्ति :— प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप मे आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा, जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

(7) सदस्यों की योग्यता :— संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :—

1. आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
2. भारतीय नागरिक हो ।
3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो ।
4. सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो ।

(8) सदस्यता की समाप्ति :— संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी :—

1. मृत्यु हो जाने पर ।
2. पागल हो जाने पर ।
3. संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर।
4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर ।
5. चारित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप मे देना होगी ।

(9) संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी, जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेगें:

1. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय

निरंतर.....3 पर

अध्यक्ष, विभावरी | सचिव, विभावरी | कोषाध्यक्ष विभावरी

असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज उज्जैन

1570 26-4-97
19-7-17

2. वह तारीख जिसको सदस्यो को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नंबर
3. वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो ।

(10) (अ) साधारण सभा :– साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होगें। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी, परन्तु वर्ष मे एक बार बैठक अनिवार्य होगी । बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यो का होगा । संस्था की प्रथम आमसभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमे संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नही किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन मे एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा ।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा :– प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी, तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक मे कोरम 1/2 सदस्यो की होगी । यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है, तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित की जाकर स्थगित बैठक उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके कोरम की कोई शर्त नहीं होगी ।

(स) विशेष :– यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें, तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की विशेष बैठक बुलाई जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजी जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

(11) साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :–

क. संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण तथा परीक्षित लेखा स्वीकृत करना।
ख. संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
ग. आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षको की नियुक्ति करना ।
घ. अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना, जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो ।
ड़. संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना ।
य. बजट का अनुमोदन करना ।

निरंतर.....4 पर

अध्यक्ष,
विभावरी

सचिव,
विभावरी

कोषाध्यक्ष
विभावरी

संशोधन [illegible] गया।
पंजीयन क्र. 1570 दि. 26-5-97
संशोधन दिनांक 12-7-17

(12) प्रबंधकारिणी का गठन :– ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के प्रदेन सदस्य रहेगें। नियम 5 (अ,ब,स) में दर्शाये गये सदस्यो जिनके नाम पंजी रजिस्टर मे दर्ज हो बैठक मे बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यो का निर्वाचन होगा।

अ. अध्यक्ष, ब. उपाध्यक्ष, स. सचिव, द. संयुक्त–सचिव इ. कोषाध्यक्ष, एवं सदस्य – 2

(13) प्रबंध समिति का कार्यकाल :– प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्टा कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता कार्य करती रहेगी, किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी । जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

(14) प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :–

अ. जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है, उसकी पूर्ति करना, और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।
ब. पिछले वर्ष का आय व्यय का लेखा पूर्णतः किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक मे प्रस्तुत करना।
स. समिति एवं उनके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियो के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना । संस्था के चल अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।
द. कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।
इ. अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय–2 पर सौपे जाए।
च. संस्था की चल अचल संपत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।
छ. संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नहीं की जाएगी ।
ज. विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान मे संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक मे उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा मे कुल सदस्यो 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

(15) अध्यक्ष के अधिकार :– अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की बैठको की अध्यक्षता करेगा, तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा मे प्रबंधकारिणी की बैठको का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों मे समान मत होने पर निर्णयात्मक होगा।

निरंतर.....5 पर

अध्यक्ष, विभावरी — सचिव, विभावरी — कोषाध्यक्ष विभावरी

असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एवं संस्थाएं उज्जैन संभाग, उज्जैन

संशोधन किया गया।
पंजीयन क्रं 1570 दि. 26-4-97
संशोधन दिनांक 19-7-17

(16) उपाध्यक्ष के अधिकार :– अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठको की अध्यक्षता करेगा तथा अध्यक्ष के समस्त अधिकारो का उपयोग करेगा।

(17) सचिव (मंत्री) के अधिकार :–

1. साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना ।
2. समिति का आय व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।
3. समिति के सारे कागजातो को तैयार करना तथा करवाना । उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।
4. सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय मे 500 रूपये खर्च करने का अधिकार होगा।

18. कोषाध्यक्ष के अधिकार :– समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना ।

19. बैंक खाता :– संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस मे रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरो से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 500 रहेगें ।

20. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :– अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 14 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी, तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी।

21. संशोधन :– संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक मे कुल सदस्यो के 2/3, मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित मे उसके पंजीकृत विधान मे संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाऐं को होगा, जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

22. विघटन :– संस्था का विघटन साधारण सभा मे कुल सदस्यो के 3/5, मतो से पारित किया जावेगा । विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्यो वाली संस्था को सौंपी जा सकेगी । उक्त समस्त कार्यवाहीं अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार की जावेगी ।

निरंतर.....6 पर

अध्यक्ष,
विभावरी

सचिव,
विभावरी

कोषाध्यक्ष
विभावरी

संशोधन किया गया।
पंजीयन क्र. 1570 दि. 26-4-97
संशोधन दिनांक 19-7-17

23. सम्पत्ति :– संस्था की समस्त चल तथा अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल संपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाऐं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी।

24. बैंक खाता :– संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस मे खोला जावेगा एवं समय–समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रकिया जारी रहेगी ।

25. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :– संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियो द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाऐं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा । साथ ही यह बैठक मे विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा ।

26. विवाद :– संस्था मे किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षो को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की और विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेगें । रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

असिस्टैंट रजिस्ट्रार ऑफ संस्थाऐं, उज्जैन संभाग, उज्जैन

अध्यक्ष, विभावरी | सचिव, विभावरी | कोषाध्यक्ष विभावरी

T.C.
23-3-17
(बी.एस. सोलंकी)
सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाऐं उज्जैन संभाग, उज्जैन